

बिहार सकरार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था० २/०६/२०१६ |०

पटना, दिनांक- २४-०८-१६

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,  
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्यय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,  
बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय योजनागत योजना फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित योजना शीर्ष अन्तर्गत मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु राशि भुगतान के लिए 1018,800/- (दस लाख अट्ठारह हजार आठ सौ) रूपये आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (ए०एस०आई० डिविजन) का पत्रांक- २-३/२०१६/ए०एस०आई०-ई०एस० दिनांक २४.०५.२०१६ द्वारा केन्द्रीय योजनागत योजना (क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रूत सर्वेक्षण/फसल सांख्यिकी के सुधार) को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-ब-१५/बी०एस०जी०-१०२/२०१६-८११/बी० दिनांक १२.०८.२०१६ द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-३) विधेयक, २०१६ पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक १०.०८.२०१६ को स्वीकृति प्रदान की है एवं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में उपर्युक्त राशि ३१ मार्च २०१७ तक की अवधि के व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है।

2. कंडिका-१ के आलोक में ०१ अप्रैल २०१६ से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में ग्रावधानित राशि से योजना मद में आवंटित किया जा सकता है।
3. कंडिका-०२ के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-३४५४ जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, ०२-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, २०४-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-०४०९-फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-३५ एवं विपत्र कोड-४/३४५४०२२०४०४०९ है।
5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-१ के लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी उप निदेशक (आहरण एवं व्यय), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।
6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके

१०१६

१०१६

आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।
9. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-3429 दिनांक 01.04.2015में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभास्त्र

३०५२८०९

(प्रमोद कुमार वर्मा)

निदेशक

बजट सहायक

प्रश्नाखा पदात्

नोडल पदात्

ज्ञापांक- १०

दिनांक- २५-०८-१६

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३०५२८०९

२५-०८-१६

ज्ञापांक:- १० /पटना, दिनांक २५-०८-१६

प्रतिलिपि:- संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी

2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३०५२८०९

२५-०८-१६

ज्ञापांक- १०

दिनांक- २५-०८-१६

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन प्रसाद सिन्हा, कार्यालय परिचारी(गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

३०५२८०९

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यकी, 02-सर्वेक्षण के द्वारा योजनागत योजना, 204 के न्द्रीय सांख्यकी संगठन, उप शीर्ष-0409-फसल सांख्यकी के सुधार के निमित योजना शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि आवंटित की जा रही है, जिसका मापा सं०-३५ एवं विपत्र कोड-5/3454022040409 है।

क्रमांक	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन धारण भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	01-07 योगा-वेतन एवं भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अर्थ एवं सांख्यकी निदेशालय, बिहार, पटना	400000	524000	80000	10000	4800	-	1018800
	कुल योग	400000	524000	80000	10000	4800	0	1018800

(दस लाख अट्ठारह हजार आठ सौ) रूपये मात्र

(प्रमोद कुमार वर्मा)  
निदेशक  
२५/१०/१६